न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी
अति0 कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, (चतुर्थ) जयपुर

एफ.एस.एस.ए. प्रकरण संख्या : 01/2020

वीरेन्द्र कुमार सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम।

आवेदक,

बनाम

माणक सिंह पुत्र श्री मालसिंह (विक्रेता एवं मालिक), मैसर्स :– रौनक जोधपुर स्वीट होम, मैन बस स्टेण्ड, खेजरोली, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर।

अभियुक्त,

(आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 26 उपधारा 2 (ii)/ 51 खाद्य एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011)

उपस्थितिः–
1. श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी आवेदक स्वयं उपस्थित ।
2. अभियुक्त स्वंय उपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 03.02.2021**

आवेदक वीरेन्द्र कुमार सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि दिनांक 01.04.2019 को मैसर्स रौनक जोधपुर स्वीट होम, मैन बस स्टेण्ड, खेजरोली, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर के खाद्य कारोबारकर्ता अभियुक्त माणक सिंह पुत्र श्री मालसिंह की उपस्थिति आम जनता को विक्रय हेतु एक स्टील की ट्रे में काउन्टर पर 3 किलो पेड़ा (मावा मिठाई) रखी होना पाया गया। इसमें मिलावट का शक होने पर इसमें से 2 किलोग्राम पेड़ा (मावा मिठाई) खरीदकर कर वास्ते नमूना जांच संख्या ई–3822 के लिये क्रय किया गया। क्रय की गई मावा की कीमत अंके रूपये 480/– (अक्षरे रूपये चार सौ अस्सी रूपयें मात्र) मौके पर उपस्थित खाद्य कारोबारकर्ता श्री माणक सिंह को देकर केश मीमो/रसीद प्राप्त की जिस पर बतौर सबूत खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहान के हस्ताक्षर है। जांच हेतु क्रय किये गये पेडा (मावा मिठाई) की जांच कराये जाने पर पेडा (मावा मिठाई) अनसेफ होना पाया गया है। अभियुक्त द्वारा अनसेफ पेडा (मावा मिठाई) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का उल्लघंन किया गया है। अतः नियमानुसार निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे।

उक्त आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कराया जाकर अभियुक्तगण को नोटिस दिया जाकर साक्ष्य सबूत का समुचित अवसर प्रदान किया गया। अभियुक्त स्वंय उपस्थित। अभियुक्त ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए भविष्य में तयमानक अनुरूप ही पेडा (मावा मिठाई) तैयार करने हेतु निवेदन किया।

उभयपक्षों को सुना गया। आवेदक वीरेन्द्र कुमार सिंह ने आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं (जन स्वा.), राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एच/पीएफए/अधिसूचना/2011/440 दिनांक 26.07.2011 के द्वारा आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की गई है तथा आदेश क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/475 दिनांक 10.08.2011 द्वारा जयपुर प्रथम कार्यक्षेत्र आंवटित किया गया है। आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की प्रदत्त शक्तियों एवं आवंटित क्षेत्र के तहत खाद्य पदार्थ विक्रय स्थल का निरीक्षण किये

अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ)
जयपुर

जाने की शक्तियां निहित होने के फलस्वरूप कर्तव्यों का निर्वहन किये जाने के अनुसरण में दिनांक 01.04.2019 को अभियुक्त द्वारा विक्रय हेतु पेडे (मावा मिठाई) का निरीक्षण किया गया। मौके पर मिले खाद्य कारोबारकर्ता माणक सिंह के पास उपलब्ध पेडे का (मावा मिठाई) का भौतिक रूप से निरीक्षण करने पर विक्रेता के पास 3 किलो पेडा एक स्टील की ट्रे मे काउन्टर पर आम जनता को विक्रय किये जाने हेतु पाया गया। इसमें मिलावट का शक होने पर नमूना जांच हेतु 2 किलोग्राम पेडा की कीमत अंके रूपये 480/–(अक्षरे रूपये चार सौ अस्सी रूपयें मात्र) खाद्य कारोबारकर्ता श्री माणक सिंह को देकर क्रय किया गया और क्रय किये गये 2 किलोग्राम पेडे (मावा मिठाई) की कीमत अंके रूपये 480/–(अक्षरे रूपये चार सौ अस्सी रूपयें मात्र) का केश मीमो–रसीद खाद्य कारोबारकर्ता श्री माणक सिंह से गवाहान के सामने प्राप्त की मौके पर नमूना जांच नम्बर ई–3822 दर्ज किया गया और मौके पर प्ररूप 5ए तैयार कर एक प्रति अभियुक्त को दी गई जिसकी प्राप्ति के हस्ताक्षर स्वयं अभियुक्त माणक सिंह के अंकित है। इस प्राप्ति रसीद पर खाद्य कारोबारकर्ता माणक सिंह के साथ ही 2 गवाहान के हस्ताक्षर है। पूरी कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट मौके पर उपस्थित गवाहान के समक्ष तैयार की गई है, जिसे मौके पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर के लिये कहा गया है मौके पर ही अभियुक्त एवं गवाहान ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये है। आवेदक ने नियमानुसार मौके पर लिये गये नमूनों का फार्म नम्बर 6 तैयार कर संबंधितों को जमा करवाया है। खाद्य विश्लेषक, राजस्थान जयपुर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक एल.एस/1039/एक्ट /2019/687 दिनांक 24.04.2019 प्ररूप बी में नमूना कोड नम्बर और सीरियल नम्बर ई–3822 को अनसेफ होना पाया है। अतः यह स्पष्ट सिद्ध है कि अभियुक्त माणक सिंह (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स रौनक जोधपुर स्वीट होम, मैन बस स्टेण्ड, खेजरोली, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर द्वारा अनसेफ पेडा (मावा मिठाई) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लघंन किया है। अतः आवेदन पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अभियुक्त को अधिकतम शास्ति से दण्डित किया जावे।

अभियुक्त स्वयं उपस्थित। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर निवेदन किया कि निरीक्षण दिनांक 01.04.2019 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा वक्त निरीक्षण पेडे (मावा मिठाई) का सेम्पल लिया गया था जो पेडे (मावा मिठाई) अनसेफ था अभियुक्त द्वारा दौराने बहस अपना अपराध स्वीकार किया तथा भविष्य मे मापदण्ड अनुसार खाद्य पदार्थ का विक्रय करने हेतु निवेदन किया।

हमने उभयपक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर होता है कि आवेदक द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (II)/51 एफएसएस एवं नियम 2011 का उल्लंघन पाये जाने पर धारा 51 के अन्तर्गत अभियुक्त को शास्ति से दण्डित करने हेतु प्रस्तुत किये गये प्रा0 पत्र के समर्थन में निम्नांकित दस्तावेजात की प्रतियां प्रस्तुत की गई है:–

1. आवेदक स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी है, के समर्थन में खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं (जन.स्वा.), राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एच/पीएफए/अधिसूचना/2011/440 दि0 26.07.2011 की प्रति ।
2. चौमू क्षेत्र आवेदक को आंवटित है, के समर्थन में आदेश क्रमांक एच/पीएफए /नोटिफिकेशन/2011/475 दिनांक 10.08.2011 की प्रति।
3. आवेदक द्वारा दिनांक 01.04.2019 को नमूने के लिऐ क्रय किये 2 किलोग्राम पेडे (मावा मिठाई) के समर्थन में खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा दिनांक 10.04.2019 को दिये गऐ केश–मीमो की प्रति जिस पर स्वयं खाद्य कारोबारकर्ता माणक सिंह के हस्ताक्षर है।

अतिरिक्त कलक्टर
जयपुर

4. नमूना जांच हेतु क्रय किया गया इसकी सूचना खाद्य कारोबारकर्ता को देने की पुष्टि में मौके पर तैयार किये गये प्ररूप 5ए की प्रति जिस पर प्ररूप 5ए की प्रति प्राप्ति हस्ताक्षर खाद्य कारोबारकर्ता माणक सिंह के है ।
6. मौके पर की गई समस्त कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता माणक सिंह के हस्ताक्षर है।
7. खाद्य विश्लेषक से नमूना जॉच रिपोर्ट की प्रति जो निर्धारित प्ररूप बी में जारी की गई है और नमूना अनसेफ होना अंकित है।

आवेदक द्वारा अपने कथन के समर्थन में जो दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है, उनसे आवेदक के कथन की पुष्टि होती है और इन दस्तावेजात की सत्यता पर सन्देह किये जाने का कोई वैधानिक आधार नही है। अभियुक्त द्वारा ही न्यायालय में उपस्थित होकर पेडा (मावा मिठाई) अनसेफ होना स्वीकार करते हुए अपना अपराध स्वीकार किया है। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट प्रारूप बी अभियुक्त को अभिहित अधिकारी द्वारा भेजी गई है। अभियुक्त ने नियमों में दिये गये प्रावधानों के अनुसार इस खाद्य विश्लेषक रिपोर्ट को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष निर्धारित अवधि में चुनौती नही दी गई है। ऐसी स्थिति में विलम्ब के संबंध में इस स्तर पर विचार किये जाने का कोई औचित्य नही है। खाद्य विश्लेषक की रिर्पोट प्ररूप–बी दिनांक 24.04.2019 पर संदेह किये जाने का कोई आधार नही है।

अतः उक्त विवेचनानुसार हम यह स्पष्टतः सिद्ध पाते है कि अभियुक्त द्वारा अनसेफ पेडा (मावा मिठाई) विक्रय करके अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अभियुक्त द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थिति को मध्यनजर रखते हुये हम अभियुक्त के कृत्य के लिये राशि रूपये 10,000 (अक्षरे रूपये दस हजार मात्र) की शास्ति आरोपित करते है और यह आदेश देते है कि आरोपित शास्ति नियमानुसार निर्णय दिनांक के एक माह की अवधि में जमा करावें।

निर्णय सुनें इजलास आज दिनांक 03.02.2021 को सुनाया गया।

3.2.21

(डॉ. अशोक कुमार)

अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ),
जयपुर